



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-3651 वर्ष 2026

राघवेंद्र सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राम गोविंद
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

“(i) प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए एक रिट या आदेश जारी किया जाए, अधिमानतः एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में, और पुलिस स्टेशन इंदरगढ़, जिला कन्नौज में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) के तहत मामला अपराध संख्या 0014/2026 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसरण में इस माननीय न्यायालय के समक्ष जांच के संबंध में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दिनांक 19.01.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसरण में अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश देने वाला आदेश/अनुदेश, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) के तहत दर्ज किया गया है। यह गिरफ्तारी पुलिस स्टेशन इंदरगढ़, जिला कन्नौज में की गई है।

(iii) न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(iv) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.01.2026 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के मददेनजर, याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक, कन्नौज, जिला कन्नौज के समक्ष अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसा आवेदन पुलिस अधीक्षक, कन्नौज, जिला कन्नौज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, कन्नौज, जिला कन्नौज/प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेगा।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, यह याचिका **निपटा** दी गई है।

फरवरी 17, 2026

जफर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)